साप्ताहिक
Live not just breaTHE

दि कार्मिक पोस्ट

MPHIN/2015/63220
MP/IDC1528/22-23

Global School Of Excellence, Obedullaganj

वर्ष : 8, अंक : 36 (प्रति बुधवार), इन्दौर, 26 अप्रैल 2023 से 2 मई 2023 पेज : 8 कीमत : 3 रुपये

तमिलनाडु में बनेगा भारत का पहला पर्यावरण निगरानी स्टूडियो

तमिलनाडु तमिलनाडु की आर्थिक विकास दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है और निवेश के निरंतर प्रवाह के साथ 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने के रास्ते पर है। इसके साथ पर्यावरणीय तनाव और प्रदूषण के मुद्दों की चुनौतियाँ आती हैं। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री शिवा वी मेयनाथन बताते हैं कि व्यापार करने में आसानी सुनिश्चित करने में राज्य की समस्याएं कैसे हैं। तमिलनाडु देश में सबसे तेजी से विकसित और औद्योगिक राज्यों में से एक है। पर्यावरण पर दबाव को कम करने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है? मैं सहमत हूं कि तमिलनाडु उद्योगों के लिए पसंदीदा स्थलों में से एक है और यह एक चुनौती है। हवा और पानी दोनों की सुरक्षा के लिए, तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (TNPCB) लगातार अनुपालन की निगरानी करता है।

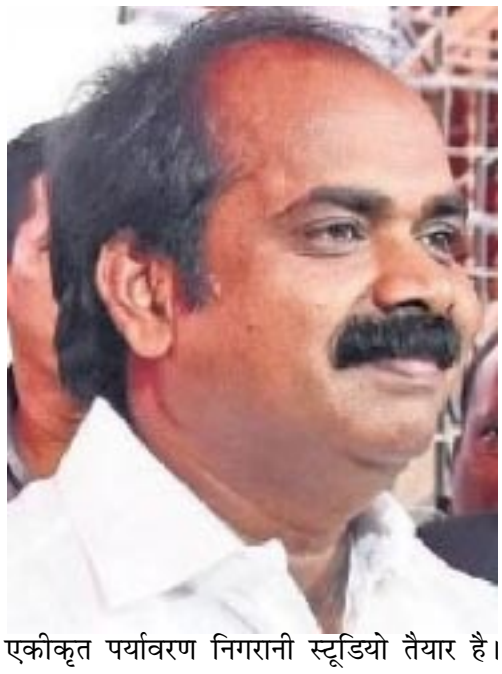

बोर्ड ने 366 दोषी औद्योगिक इकाइयों को बंद करने का आदेश जारी किया है और 4,190 उद्योगों को अप्रैल 2022 से फरवरी 2023 तक सहमति शर्तों और पर्यावरण नियमों का पालन न करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। हम रीयल-टाइम जल गुणवत्ता निगरानी स्टेशन भी स्थापित कर रहे हैं और सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन। औद्योगिक हवा/पानी की गुणवत्ता की निगरानी और बायो-मेडिकल/खतरनाक कचरे की ट्रैकिंग के लिए भारत का पहला एकीकृत पर्यावरण निगरानी स्टूडियो तैयार है। हालांकि सरकार ने तमिलनाडु में एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन वे उपयोग में बने हुए हैं। 100त्न प्रतिबंध प्राप्त करने के लिए विभाग क्या कदम उठा रहा है? तमिलनाडु को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए हमें लोगों को विकल्प दिखाना होगा और व्यवहार में बदलाव लाना होगा। TNPCB ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के सहयोग से पिछले साल सितंबर में सिंगल यूज़ प्लास्टिक के पर्यावरण-विकल्प पर पहली बार राष्ट्रीय एक्सपो और एक स्टार्टअप सम्मेलन का आयोजन किया। पूरे भारत से कुल 173 प्रदर्शकों ने भाग लिया। साथ ही, पर्यावरण-विकल्प के निर्माताओं और आपूर्तिकर्ताओं पर एक निर्देशिका जारी की गई। मंजप्पई वेंडिंग मशीनें महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थानों जैसे उच्च न्यायालय, कोयम्बेडु बाजार, जिला कलेक्ट्रेट आदि में स्थापित की गईं। 36 मंजप्पई वेंडिंग मशीनों के लिए ऑर्डर दिया गया है। ये सभी कदम वांछित परिणाम लाएंगे। अतीत में, टीएनपीसीबी द्वारा उद्योगों को सहमति के नवीनीकरण में हेराफेरी और अनावश्यक देरी के आरोप लगे थे? स्थिति को कम करने के लिए कौन से नए उपाय पेश किए गए? इस मुद्दे को हमारे संज्ञान में लाने के बाद, हर साल सहमति जारी करने की पुरानी प्रणाली को 5, 10 और 14 साल की विस्तारित अवधि के लिए रेड, ऑरेंज और ग्रीन श्रेणी के उद्योगों के लिए व्यापार करने में आसानी नीति के तहत ब्लॉक अनुमोदन के साथ बदल दिया गया था। क्रमश। 1 अप्रैल, 2022 से 28 फरवरी, 2023 तक कुल 10,428 उद्योगों को थोक सहमति से जारी किया गया। उत्तरी चेन्नई के लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि उनके क्षेत्र में सभी आबादी वाले उद्योग हैं। आप इस आलोचना को कैसे देखते हैं? विभिन्न कारणों से, बंदरगाहों सहित अधिकांश मध्यम और बड़े उद्योग उत्तरी चेन्नई में आ गए हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों के आधार पर मनाली क्षेत्र में कैरिंग कैपेसिटी स्टडी कराई जा रही है, ताकि नए उद्योगों के लिए सहमति जारी करने और मौजूदा उद्योगों के विस्तार के लिए आवश्यक निर्णय लिए जा सकें।

पर्यावरण संरक्षण का लिया संकल्प

बहराइच। विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर शनिवार को विकास खंड चित्तौरा अंतर्गत ग्राम पंचायत धरसवां में सेल्फी विद अमृत सरोवर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर काफी संख्या में लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में मौजूद लोगों को पृथ्वी को बचाने के लिए पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता पर जोर दिया गया। कार्यक्रम में सभी लोगों ने पृथ्वी व पर्यावरण संरक्षण का संकल्प भी लिया।

डीएम डॉ.दिनेश चंद्र ने इस दौरान कहा कि हम सभी को पृथ्वी की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। यह हमें हमारे दैनिक विकल्पों और कार्यों के पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में सोचने और कार्बन को कम करने, संसाधनों के संरक्षण, वन्य जीव व प्राकृतिक आवासों की रक्षा करने के लिए कदम उठाने को प्रोत्साहित करता है। डीएम ने कहा कि मां की गोद जैसी इस सुंदर धरा की रक्षा के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक व्यक्ति, सरकारी व गैर सरकारी तंत्र को मिलकर प्रयास करना होगा। पृथ्वी दिवस के अवसर पर हम पौधे लगाने, कचरा कम करने, टिकाऊ परिवहन को बढ़ावा देने के अभियान में अपना योगदान दे सकते हैं। इस अवसर पर मौजूद लोगों ने अमृत सरोवर के साथ सेल्फी भी ली। कार्यक्रम में उपायुक्त मनरेगा केडी गोस्वामी, खंड विकास अधिकारी एसके त्रिपाठी, प्रधान सविता पांडेय, एपीओ मनरेगा संदीप त्रिपाठी समेत अन्य लोग मौजूद रहे।

सिंघल ने कहा जीवन को बचाना है तो पर्यावरण व पृथ्वी को बचाना होगा

माउंट आबू विश्व पृथ्वी दिवस पर ब्रह्मा कुमारीज संस्थान के शांतिवन परिसर में वैज्ञानिक, अभियंता एवं इंजीनियरिंग प्रभाग द्वारा चलाए जा रहे इनवेस्ट योवर प्लानेट (प्रेसर्व, प्रोटेक्ट, प्रमोट) कैंपेन की राष्ट्रीय लांचिंग की गई। वैज्ञानिक, अभियंता एवं इंजीनियरिंग प्रभाग के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीके मोहन सिंघल भाई ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से पर्यावरण के संरक्षण के लिए जी-20 प्रोग्राम चलाया जा रहा है।

वसुधैव कुटुम्बकम की थीम पर चलाए जा रहे इस प्रोग्राम का मकसद वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर है। यह तभी हो सकता है जब हम अर्थ में इनवेस्ट करें। हम अपनी प्रकृति के साथ पशु, पक्षी, पेड़-पौधे और प्रकृति के पांचों सभी को परिवार मानेंगे। कभी प्रकृति का दोहन नहीं करेंगे। जीवन को बचाना है तो पर्यावरण और पृथ्वी को बचाना होगा। एसडीएम गोविंद सिंह ने कहाि क वर्तमान समय में बहुत प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है। यह हम सभी के लिए चिंता का विषय है। ऐसी स्थिति में यदि पृथ्वी को संरक्षित करना है, प्रदूषण से बचाना है तो लोगों की लाइफ स्टाइल में परिवर्तन जरूरी है। इसके लिए हमें ऐसे कार्यक्रम आयोजित कर लोगों में जन जागृति फैलाना होगा। संस्थान की संयुक्त मुख्य प्रशासिका बीके निर्मला दीदी ने कहा कि हम सभी को अब पर्यावरण बचाने के लिए गंभीर होने की जरूरत है। वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके नीलू दीदी ने कहा कि जीवन में राजयोग को शामिल करने से हमारे मन का प्रदूषण दूर हो जाता है, जब मन स्वच्छ-सुंदर रहेगा तो हमारे कर्म भी स्वच्छ, सुंदर और सकारात्मक होंगे। प्रकृति संरक्षण की दिशा में होंगे। इस अवसर पर बीके भारत भूषण, बीके डॉ. सविता बहन, बीके सुप्रिया बहन ने भी अपने विचार व्यक्त किए।

भूजल का दोहन, एनजीटी ने मांगी रिपोर्ट

कोलकाता क्रिकेट मैदानों के रखरखाव के लिए भूजल के हो रहे दोहन से जुड़े मामले पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने रिपोर्ट तलब की है। कोर्ट ने जल शक्ति मंत्रालय को इस मामले में रिपोर्ट दायर करने के लिए दो महीनों का समय दिया है। यह आदेश 28 मार्च 2023 को जारी किया गया है।

गौरतलब है कि 15 अप्रैल, 2021 को जल शक्ति मंत्रालय के खिलाफ कोर्ट में आवेदन दायर किया गया था। इस आवेदन में जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा एनजीटी के निर्देशों का पालन करने में असफल रहने के खिलाफ कोर्ट में शिकायत की थी। एनजीटी ने जल शक्ति मंत्रालय के सचिव को खेल एवं युवा मंत्रालय के नामित सदस्यों, बीसीसीआई और सीपीसीबी के प्रतिनिधियों के साथ एक संयुक्त बैठक करने का निर्देश दिया था। 15 अप्रैल, 2021 को जारी इस निर्देश में कोर्ट ने कहा था कि जब मैच नहीं खेले जा रहे थे, तब खेल मैदानों के रखरखाव के लिए भूजल के उपयोग को रोकने पर विचार करें। साथ ही कोर्ट ने भूजल के उपयोग की जगह एसटीपी से निकले शोधित जल के उपयोग की बात कही थी। कोर्ट का कहना था कि खेल के सभी मैदानों में वर्षा जल संचयन को सुनिश्चित करें और प्रत्येक क्रिकेट स्टेडियम के लिए विशेषज्ञ नियुक्त करें। इसके साथ ही पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए खेल आयोजनों का उपयोग करें। आवेदक का कहना था कि सूखा प्रभवित क्षेत्रों में खेल के मैदानों के लिए भूजल का उपयोग जल संकट को बढ़ा रहा है। नागापट्टिनम के तट पर तेल रिसाव का मामला, कोर्ट ने दिए समिति गठित करने के निर्देश क्या तेल रिसाव की घटना के कारण पानी को हुए नुकसान को रोकने के लिए किसी तरह की कार्रवाई की जरूरत है, एनजीटी ने इसकी जांच के लिए समिति गठित करने के निर्देश दिए हैं। तेल रिसाव की यह घटना 2 मार्च 2023 को तमिलनाडु के नागापट्टिनम जिले में घटित हुई थी। गौरतलब है कि यह रिसाव नागपट्टिनम में चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड सीबीआर क्रूड स्टोरेज टैंक से कराईकल पोर्ट को जोड़ने वाली नौ किलोमीटर लम्बी पाइपलाइन से हुआ था। इस संयुक्त समिति में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नागापट्टिनम के जिला मजिस्ट्रेट, भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र और सतत तटीय प्रबंधन केंद्र के अधिकारी शामिल होंगे। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि संयुक्त समिति की पहली दो बैठकें दो सप्ताह के भीतर बुलाई जानी है और कार्यवाही दो महीने के भीतर पूरी हो जानी चाहिए। यह समिति विशेष रूप से सुरक्षा का ऑडिट करेगी और यह पता लगाने का प्रयास करेगी कि पाइपलाइन में आई यह दरार कहीं रखरखाव न करने के कारण लगे जंग की वजह से तो नहीं आई थी। वायु प्रदूषण के मामले में समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए एनजीटी ने जारी किए दिशा-निर्देश संयुक्त समिति की रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने गंगा के मैदानी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वायु गुणवत्ता को नियंत्रित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। 27 मार्च 2023 को जारी इन निर्देशों में निम्नलिखित बातों को शामिल किया गया है- संयुक्त समिति की रिपोर्ट को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की वेबसाइट पर होस्ट किया जाएगा और सीपीसीबी द्वारा एक पखवाड़े के भीतर गंगा के मैदानी राज्यों और केंद्र संघ शासित प्रदेशों के पीसीबी/पीसीसी को प्रसारित किया जाएगा। रिपोर्ट में उल्लेखित संवेदनशील जिलों को वायु गुणवत्ता संवेदनशील जिलों के रूप में सूचीबद्ध किया जाना चाहिए और इन जिलों में प्रदूषण के सक्रिय स्रोतों पर कड़ी निगरानी रखी जानी चाहिए।संचालन के लिए संशोधित सहमति (सीटीओ) प्रदान की जानी चाहिए। इसके साथ ही स्वच्छ ईंधन को अपनाने की आवश्यकता है और एक निश्चित समय सीमा के साथ कुशल वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों को अपनाने की जरूरत है। इसके लिए कोर्ट ने छह महीनों का समय दिया है। पर्यावरण मंत्रालय और सीपीसीबी द्वारा स्वच्छ ईंधन को अपनाने के लिए बल दिया जाना चाहिए। कुशल वायु प्रदूषण नियंत्रण प्रौद्योगिकियों को अपनाना, जीआरएपी को लागू करना और धूल नियंत्रण, वाहन प्रदूषण जैसे अन्य प्रदूषण स्रोतों को नियंत्रित करने के लिए सतर्कता उपाय और राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत चिन्हित प्राधिकारियों और संयुक्त समितियों द्वारा छह माह के भीतर जिला विशिष्ट कार्य योजना को अपनाने की आवश्यकता है। पर्यावरण मंत्रालय और सीपीसीबी को दैनिक और वार्षिक वायु गुणवत्ता आंकड़ों की समीक्षा के बाद विभिन्न क्षेत्रों में स्थिति का आकलन करने और छह महीने के भीतर उस आधार पर जरूरी उपाय करने की आवश्यकता है। ऐसे में एनजीटी ने सीपीसीबी को सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए एक रोड मैप तैयार करने के लिए कहा है और तीन महीनों के भीतर सभी संबंधित मंत्रालयों, विभागों, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और अन्य हितधारकों के साथ बैठक करने का निर्देश भी दिया है। इस मामले में संयुक्त समिति ने 30 जनवरी, 2023 को एनजीटी के समक्ष अपनी रिपोर्ट दाखिल कर दी थी। इस समिति में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ और सीसी), केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी), उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साथ अन्य सदस्य शामिल थे। रिपोर्ट में कहा है कि खासकर अक्टूबर और नवंबर के दौरान गंगा के मैदानी क्षेत्रों में वायु प्रदूषण को देखते हुए विकास गतिविधियों को केवल उन्नत तकनीक और उचित प्रबंधन की मदद सी किया जाना चाहिए। रिपोर्ट में अलीगढ़, कानपुर, फरीदाबाद, गुड़गांव, नई दिल्ली, सिरसा, दक्षिण पश्चिम दिल्ली, फिरोजपुर, बर्धमान आदि को हॉटस्पॉट के रूप में दर्शाया गया है।

ऊर्जा बचत के लिए 365 दिन सावधानियों का पालन ज़रूरी- श्री मंगुभाई पटेल

राज्यपाल ने सक्षम संरक्षण क्षमता महोत्सव 2023 का किया शुभारंभ

भोपाल (जं.स.) राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल ने कहा है कि ऊर्जा की बचत के लिए 365 दिन छोटी-छोटी सावधानियां और कार्यों का पालन किया जाना ज़रूरी है। आज ऊर्जा की बचत कल के भविष्य की सुरक्षा है। उन्होंने कहा कि ऊर्जा संरक्षण अभियान की सफलता के लिए सामाजिक सोच का होना ज़रूरी है। ऊर्जा संरक्षण को आदत बनाने के प्रयास आवश्यक हैं।

राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल आज सक्षम संरक्षण क्षमता महोत्सव 2023 के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। श्री पटेल ने इस अवसर पर आकाश में गुब्बारे उड़ा, जागृति रथ को झंडी दिखा कर रवाना किया। ऊर्जा संरक्षण शपथ ग्रहण कराई। कार्यक्रम में सक्षम अभियान पर आधारित नुक्कड़ नाटक का प्रदर्शन किया गया। सक्षम महोत्सव शुभारम्भ कार्यक्रम का आयोजन पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय और पेट्रोलियम संरक्षण संघ के तत्वावधान में मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल, भोपाल में किया गया था। राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि सरकार के प्रयासों में समाज की सहभागिता उसकी सफलता का आधार होती है। सामान्यतः देखा गया है कि माता-पिता, संतान के सुखी भविष्य के लिए धन की बचत करते है किन्तु पर्यावरण की अनदेखी करते है, जबकि भावी पीढ़ी का भविष्य धन से नहीं, स्वस्थ्य और स्वच्छ पर्यावरण से ही सुरक्षित हो सकता है।

तय सीमा से पांच गुणा ज्यादा पाया गया प्रदूषण, नॉर्दर्न कोलफील्ड्स पर 4.43 करोड़ का जुर्माना

नॉर्दर्न कोलफील्ड्स की बीना परियोजना, वायु अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। यह बात उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपनी 25 अप्रैल, 2023 को कोर्ट में सबमिट रिपोर्ट में कही है। मामला उत्तर प्रदेश में सोनभद्र का है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अभी भी 1,29,236.85 मीट्रिक टन कोयला साइट पर मौजूद है।

वहीं गूगल सैटेलाइट इमेज से पता चला है कि कृष्णाशिला रेलवे साइडिंग में 2017 के दौरान कोयले की डंपिंग नहीं देखी गई थी। वहीं 2018 में दो छोटे पैच देखे गए थे, जो 2020 तक लगातार बढ़ रहे थे। गूगल द्वारा उपग्रह से ली छवियों से पता चला है कि यह महत्वपूर्ण कोयला भंडार दिसंबर 2022 में उस क्षेत्र में देखा गया था जो मेसर्स नॉर्दर्न कोलफील्ड की बीना परियोजना के अधिकार क्षेत्र में आता है। पता चला है कि कोयले के स्वयं जलने के कारण क्षेत्र में वायु गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। ऐसे में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा क्षेत्र में वायु गुणवत्ता की निगरानी की जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक वहां पीएम 10 का स्तर 460 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज किया गया जोकि तय सीमा (100 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर) से करीब पांच गुणा ज्यादा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने नॉर्दर्न कोलफील्ड्स पर 4.43 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की यह रिपोर्ट नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा 16 नवंबर, 2022 को दिए निर्देश के मद्देनजर कोर्ट में सबमिट की गई है। नंधौर वन्यजीव अभ्यारण्य के पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्र में नदी की ड्रेजिंग के दिए गए निर्देश नैनीताल के जिला मजिस्ट्रेट ने चोरगलिया में बाढ़ से बचने के लिए संबंधित अधिकारियों को नंधौर के ऊपर नदी को चैनलाइज करने के निर्देश दिए हैं। यह निर्देश 24 फरवरी, 2023 को एनजीटी द्वारा दिए आदेश पर जारी किए गए हैं। मामला उत्तराखंड के नैनीताल जिले का है।

गौरतलब है कि इससे पहले उत्तराखंड सरकार ने 7 जनवरी 2022 को एक पत्र के माध्यम से उत्तराखंड रिवर ड्रेजिंग पॉलिसी 2021 के तहत नंधौर नदी पर तटीकरण के काम को अनुमति दी थी। जानकारी दी गई है कि इससे चोरगलिया, नानकमत्ता और सितारगंज गांवों के लोगों को बाढ़ की स्थिति से बचने में मदद मिलेगी। वहीं नैनीताल के जिलाधिकारी द्वारा जारी निर्देशों को ध्यान में रखते हुए वन विभाग, राजस्व विभाग एवं सिंचाई विभाग के अधिकारियों की एक संयुक्त समिति का गठन किया गया है। इससे पहले बाढ़ की स्थिति से बचने के लिए नौ जून 2021 को क्षेत्र का संयुक्त निरीक्षण किया गया था। जांच में पता चला है कि देवाठे नदी के मुहाने पर आरबीएम निकली है। वहीं कैलाश नदी के मुहाने पर बड़ी मात्रा में सड़क आधार सामग्री (आरबीएम) और मिट्टी जमा हो गई है। इसके चलते नदी की धारा को आबादी की ओर मोड़ दिया गया है। ऐसे में नदी के तटीकरण के कार्य की तत्काल आवश्यकता है। इससे बाढ़ की स्थिति से बचने में मदद मिलेगी। पता चला है कि नदी के तटीकरण एवं आरबीएम की सफाई एवं निकासी के लिए एक जनवरी 2022 को छह माह की अवधि के लिए आरबीएम को हटाने की अनुमति दी गई है। राज्य सरकार द्वारा यह भी निर्देश दिया गया है कि हटाई गई आरबीएम सामग्री का उपयोग नदी तट के निर्माण में किया जाएगा।

एनजीटी ने बेतवा नदी तल से हुए मोरम खनन पर संयुक्त समिति से मांगा जवाब- एनजीटी ने बेतवा नदी तल से हुए मोरम खनन के मामले में संयुक्त समिति से जवाब मांगा है। मामला उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में सरिला तहसील का है। जहां मोरम खनन के मामले में पर्यावरणीय नियमों के उल्लंघन की शिकायत मिली थी। इस संयुक्त समिति में हमीरपुर के जिलाधिकारी और उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य शामिल होंगे। आरोप है कि परियोजना प्रस्तावक के पास आवश्यक पर्यावरण मंजूरी और स्थापित करने के लिए सहमति (सीटीई) नहीं है। न ही संचालन के लिए सहमति (सीटीओ) मिली है। इसके बावजूद नियमों को ताक पर रख नदी तल से खनन किया जा रहा है। पता चला है कि वहां इसकी बहाली के लिए कोई अध्ययन नहीं किया गया है। एनजीटी के समक्ष आवेदन में जानकारी दी गई है कि खनन के लिए भारी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। गौरतलब है कि मोरम एक गौण खनिज है जो ग्रेनाइट चट्टानों के अपक्षय और विघटन से प्राप्त होता है। वहीं एक अन्य प्रकार का मोरम जिसे %रेड मोरम% भी कहा जाता है, वो लेटराइट मिट्टी है जो पुरानी अपक्षय सतहों वाली ऊंची जमीन पर पाई जाती है।

मप्र के अनाथ बच्चों को नहीं मिला 'वात्सल्य'

प्रदेश में एक साल बाद भी नहीं लागू हुई मिशन वात्सल्य योजना

भोपाल । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनाथ बच्चों को सहारा प्रदान करने के लिए मिशन वात्सल्य योजना शुरू की थी। लेकिन मप्र में अफसरों की भर्राशाही और लापरवाही के कारण अनाथ बच्चों का वात्सल्य नहीं मिल पाया। यानी प्रदेश में यह योजना एक साल बाद भी लागू नहीं हो पाई है। इस योजना के तहत अनाथ बच्चों को प्रतिमाह चार हजार रुपए प्रदान किए जाने है। इसके अलावा नई योजना में छह हजार रुपए हर महीने रहन-सहन के लिए भी बच्चों को प्रदान किए जाने हैं। अब संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग के अफसरों ने मिशन वात्सल्य को एक साल बाद यानी 1 अप्रैल 2023 से लागू करने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री को भेजा है। जिसे अभी तक मंजूरी नहीं मिली है। जानकारी के अनुसार पूर्व में संचालित एकीकृत बाल संरक्षण योजना (आईसीपीएस) को नए प्रावधान के साथ भारत सरकार ने एक अप्रैल 2022 से देश भर में लागू कर दिया था। साथ ही केंद्र ने बजट भी जारी कर दिया था, लेकिन मप्र महिला बाल विकास के अफसर इसे एक साल बाद भी लागू नहीं कर पाए है। खास बात यह है कि मिशन वात्सल्य को लागू करने में महिला एवं बाल विकास विभाग के अफसरों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी गुमराह कर दिया है। महिला बाल विकास के अधिकारियों की संवेदनशीलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि साल भर से आईसीपीएस योजना के तहत कार्यरत 600 कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिला है। प्रदेश में किशोर न्याय बोर्ड, सीडब्ल्यूसी के सदस्यों को 7 महीने से मानदेय नहीं दिया गया है। बाल देखरेख संस्थाओं में निवासरत 5000 से अधिक अनाथ, बेसहारा बच्चों के भोजन, कपड़े एवं अन्य सुविधाओं के लिए भी केंद्र सरकार ने बजट प्रतिमास दो हजार से बढक़र 3 हजार किया है, लेकिन मप्र में यह लाभ भी बच्चों को नही दिया गया है।

पर्यावरण संरक्षण समिति सदस्य बोले- स्कीमों की सरपंच व बीडीपीओ से मांगी जाए कार्य प्रगति रिपोर्ट

करनाल पर्यावरण संरक्षण समिति द्वारा सेक्टर-13 में जल संरक्षण पर मीटिंग की। सदस्यों ने कहा कि सरकार ने जल संरक्षण के लिए गांव में तालाब बनवाना, शहरों में जल रिर्चाजिंग प्लांट बनाना और जल के दुरुपयोग को रोकने के लिए कई स्कीमें बनाई हैं। लेकिन उनकी मॉनिटरिंग ठीक न होने के कारण वह कारगर सिद्ध नहीं हो रही हैं। अधिकतर गांव में तालाबों का निर्माण ही नहीं हुआ है और उसके लिए सरपंच एवं बीडीओ की जिम्मेवारी लगाई जाए और इनकी प्रगति रिपोर्ट ली जाए तभी यह स्कीम लागू हो पाएगी।

शहरों में वाटर रि-चार्जिंग प्लांट या तो बने ही नहीं हैं और जहां कहीं बने भी हैं तो वह बंद पड़े हैं और उनमें मलबा भरा पड़ा है। इन वाटर रि-चार्जिंग प्लांट में पानी रिचार्ज कैसे हो सकेगा। हुड्डा अधिकारियों एवं नगर निगम अधिकारियों की जिम्मेवारी लगाई जाए और उनसे एक महीने में इन की सफाई करवाकर इन वॉटर रि-चार्जिंग प्लांट को चालू करवाने की रिपोर्ट ली जाए। पर्यावरण संरक्षण समिति उपरोक्त संबंधित अधिकारियों से अनुरोध करती है कि जल को संरक्षित करने के लिए इस प्रकार सुझाए गए ठोस कदम उठाए जाएं तभी भू-जल के स्तर में सुधार हो सकता है। मौके पर समिति चीफ पैटर्न कंवल भसीन, वरिष्ठ उप-प्रधान राम रतन अत्री, प्रधान एसडी अरोड़ा, डॉ. पुष्पा सिन्हा, शशी आर्या, ईश्वर छाबड़ा, महासचिव केएल नारंग, लै. कर्नल बीडी खुराना, डॉ. एसके शर्मा, अर्जुन देव वर्मा, एचडी कथूरिया आदि सदस्यों ने भाग लिया। वरिष्ठ उप-प्रधान राम रतन अत्री ने बताया कि सेक्टरों में अक्सर देखा जा सकता है कि सुबह 7 से 9 बजे तक लोग रोज पाइप लगाकर गाड़ियों की धुलाई करते हैं और सफाई वाली घरों में पाइप लगाकर रैंप की धुलाई करती हैं। हुड्डा एक्सईएन एवं एसडीओ की जिम्मेवारी लगाई जाए कि वे सुबह पानी की सप्लाई के समय सेक्टरों में राउंड लगाएं और पानी के दुरुपयोग को रुकवाया जाए। पानी के दोहन को रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए।

पर्यावरण संरक्षण के लिए 202 दिनों की राह तय कर पहुंची साइकिल यात्रा

बलिया। ग्रीन इंडिया मूवमेंट के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण जन जागरण अभियान के नाम से जनमानस में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए इटावा के रहने वाले रॉबिन सिंह की ओर से देश के प्रत्येक जिले से होते हुए साइकिल यात्रा की जा रही है। यह साइकिल यात्रा 6 अक्टूबर 2022 को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से प्रारंभ हुई थी। केरल, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, असम, पश्चिम बंगाल, झारखंड, त्रिपुरा, मेघालय, बिहार से होते हुए 14408 किलोमीटर की यात्रा कर 202 दिनों बाद सोमवार रात्रि बलिया पहुंची।

रात्रि विश्राम के बाद सोमवार को सुबह साढ़े पांच बजे टाउन हॉल पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह जिला संघचालक डॉ. विनोद सिंह, सह नगर संघचालक परमेश्वरनश्री ने रॉबिन सिंह का स्वागत किया। जिला कार्यवाह हरनाम सिंह, जिला संयोजक कुटुंब प्रबोधन रामकुमार तिवारी, जिला प्रचार प्रमुख मारुति नन्दन, नगर प्रचारक विशाल, अक्षय ठाकुर, प्रभात, विनय सिंह ने रॉबिन सिंह को उद्देश्य की सफलता के लिए शुभकामनाएं दीं। रॉबिन सिंह भृगुजी के मंदिर पहुंचे। शाखा कार्यवाह राजेश महाजन के नेतृत्व में संघ के कार्यकर्ताओं व अन्य लोगों ने यात्रा का फूल माला से स्वागत किया। यहां से रसड़ा होते हुए मऊ के लिए साइकिल यात्रा को विदा किया गया।साइकिल यात्रा का अब उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड, हिमांचल, जम्मू होते हुए अन्य सभी राज्यों के बचे हुए जिलों में 700 दिनों के भीतर पहुंचने का लक्ष्य है। मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में इस यात्रा का विराम होगा। रॉबिन सिंह ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण जन-जागरण अभियान इस यात्रा का नाम है ।ग्रीन इंडिया मूवमेंट के अंतर्गत यह यात्रा की जा रही है। इसका उद्देश्य पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करना, विशेषकर युवाओं को इस ओर ध्यान लाना है। किसी भी देश के युवा किसी भी स्थिति परिस्थिति को बदलने के लिए सक्षम होते हैं। पूरे देश के अंदर जितनी ज्यादा हरियाली होगी, पौधरोपण होगा, प्लास्टिक का प्रयोग कम होगा, उतनी ज्यादा जागरूकता होगी।

प्लास्टिक पर प्रतिबंध में नाकामी

नई दिल्ली। एक बार इस्तेमाल होने वाले (सिंगल यूज) प्लास्टिक उत्पादों पर प्रतिबंध लगाए जाने के तकरीबन 10 महीने बाद भी देश के अधिकांश हिस्सों में उनका इस्तेमाल आम है। हालांकि इनका थोक इस्तेमाल करने वाले कुछ कारोबारियों ने जैविक रूप से अपघटन योग्य विकल्प अपना लिए हैं लेकिन अधिकांश अन्य उत्पादक, विक्रेता और उपभोक्ता अभी भी पहले की तरह बदस्तूर ऐसे प्लास्टिक का प्रयोग कर रहे हैं। ज्यादा चिंता की बात यह है कि त्यागे गए प्लास्टिक उत्पादों के संग्रह और सुरक्षित निपटारे के क्षेत्र में भी कोई खास सुधार देखने को नहीं मिला है। ऐसे में सार्वजनिक प्रदूषण की समस्या और बढ़ी है। सिंगल यूज प्लास्टिक न केवल सड़कों पर बिखरे रहते हैं बल्कि कचरा फेंकने की जगहों पर भी इन्हें बड़ी तादाद में देखा जा सकता है। इसके अलावा अब यह प्लास्टिक नदियों और समुद्र के रूप में हमारे जल स्रोतों में भी मिलने लगा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने हाल ही में कहा था कि अभी भी अर्थव्यवस्था के निचले दायरे में निपटान योग्य प्लास्टिक की सामग्री, खासतौर पर पतले कैरी बैग का इस्तेमाल बदस्तूर जारी है। केरल में 23 मार्च से 4 अप्रैल तक प्लास्टिकरोधी अभियान चलाया गया और इस दौरान 25 टन निषिद्ध प्लास्टिक जब्त किया गया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी हालात बहुत बेहतर नहीं हैं। वहां 100 दिन के प्लास्टिक रोधी अभियान का समापन 22 अप्रैल को हुआ और इस अवधि में 14,000 किलो निषिद्ध प्लास्टिक की सामग्री जब्त की गई। देश के सभी महानगरों में दिल्ली सबसे अधिक प्लास्टिक कचरा उत्पादित करने वाला राज्य है। लास्टिक प्रदूषण की समस्या के मूल में प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियमों के कमजोर प्रवर्तन को जिम्मेदार माना जा सकता है। केंद्र सरकार ने ऐसे प्लास्टिक उत्पादों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया जो सीमित उपयोग के थे लेकिन जो बहुत अधिक कचरा करते थे। परंतु इसके प्रवर्तन का काम राज्यों और उनके प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सौंपा गया था जिन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाने में ढिलाई बरती। पूरा दोष केंद्र सरकार पर भी नहीं डाला जा सकता है। उसने विभिन्न समूहों के दबाव को नकारते हुए प्रतिबंध लगाकर जहां उल्लेखनीय प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया, खासकर प्लास्टिक स्ट्रॉ के थोक उपभोक्ताओं की इस मांग को नामंजूर कर दिया जो कह रहे थे कि उन्हें उचित विकल्प अपनाने के लिए और अधिक समय दिया जाए लेकिन वह बाद में जरूरी कदम उठाने में नाकाम रही। इसके अलावा वह प्लास्टिक कचरा प्रबंधन का प्रभावी ढांचा तैयार करने की प्रक्रिया में राज्यों को साथ लेकर चलने में भी नाकाम रही है। हालांकि स्थानीय सरकार ने 2019 में ही प्लास्टिक कचरा प्रबंधन के नियम बना दिए थे लेकिन अभी इन्हें औपचारिक रूप से अधिसूचित किया जाना बाकी है। कई अन्य राज्यों में प्लास्टिक कचरा प्रबंधन के मानक केवल कागज पर हैं। यही वजह है कि अधिकांश निषिद्ध और जैविक रूप से अपघटित न होने वाला कचरा घरेलू कचरे में मिल जाता है और वर्षों तक वातावरण में बना रहता है। उसके जलने से जहरीला धुआं निकलता है। इसका बड़ा हिस्सा नदियों और समुद्र में मिल जाता है जो जलीय जैव विविधता को नुकसान पहुंचाता है। प्लास्टिक उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने में नाकामी की एक अन्य प्रमुख वजह है, उनके सस्ते विकल्पों का पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो पाना। इस दिशा में शोध करने में ज्यादा निवेश नहीं किया गया है। - साभार

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक सोनल मेहता केलिए प्रतीक्षा ग्राफिक्स, 127 देवी अहिल्या मार्ग, इंदौर (म.प्र.) से मुद्रित एवं 209-बी शहनाई रेसीडेंसी-2 कनाड़िया रोड इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक: डॉ. सोनल मेहता फोन : 0731-2595008 Mail.sonal12mehta@yahoo.co.in 9755040008